भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *333

24.03.2025 को उत्तर के लिए

वन भूमि का विकास कार्यकलापों हेतु उपयोग

***333. श्री राजा राम सिंह :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट के अनसार वर्ष 1996 से वर्ष 2023 के बीच विकास कार्यकलापों के लिए वनों के बड़े भू-भागों के विविध उपयोग से संबंधित आंकड़े मौजूद नहीं हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1996 से वर्ष 2023 के बीच विकास कार्यकलापों के लिए उपयोग की गई वन भूमि का अभिलेख रखा है;

(घ) यदि हां, तो विगत दस वर्षों से विकास कार्यकलापों के लिए उपयोग की गई वन भूमि का राज्यवार/जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन (ईआईए) कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'वन भूमि का विकास कार्यकलापों हेतु उपयोग' के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *333 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून हर दो वर्ष के चक्र में देश का वॉल-टु-वॉल वन आवरण मानचित्रण (एफसीएम) करता है और इन निष्कर्षों को वर्ष 1987 से भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित करता है। एफएसआई ने अब तक 18 आईएसएफआर प्रकाशित की हैं और नवीनतम आईएसएफआर 2023 है।

वर्ष 1987 की प्रथम रिपोर्ट में 1:1 मिलियन के पैमाने पर 80 मीटर के स्थानिक रेजोलुशन के साथ लैंडसैट-एमएसएस उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया गया था, जबकि नवीनतम रिपोर्ट अर्थात आईएसएफआर 2023, 23.5 मीटर के स्थानिक रेजोलुशन और 1:50,000 के पैमाने के साथ रिसोर्ससैट-2 एलआईएसएस III उपग्रह छवि पर आधारित है। एफएसआई ने सदैव प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ सामंजस्य बनाए रखा है और बीते वर्षों में अपने आकलन में सुधार किया है। इसके अलावा, एफएसआई का राष्ट्रीय वन सूची कार्यक्रम, सुदृढ़ सांख्यिकीय अभिकल्प पर आधारित है जिसके तहत हर वर्ष देश भर में फैले लगभग 20,000 नमूना भू-खंडों से क्षेत्र सूची संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और एफसीएम में सहायता प्रदान करने के लिए इन क्षेत्र संबंधी आंकड़ों का अतिरिक्त रूप से उपयोग किया जाता है।

वैज्ञानिक सटीकता, पारदर्शिता, विश्वसनीय प्रत्यक्ष सत्यापन और वन आवरण का सही आकलन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसआई ने अपने प्रत्यक्ष सत्यापन संबंधी बिंदुओं को आईएसएफआर 2021 में प्रयुक्त 3,414 से बढ़ाकर आईएसएफआर 2023 में 8,494 किया है। आईएसएफआर 2023 में उल्लिखित किए गए अनुसार, एफसीएम की सटीकता 96.32% है।

इस प्रकार, आईएसएफआर एक वैज्ञानिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जिसमें देश के वन संसाधनों के अद्यतित आकलन उपलब्ध कराए जाते हैं और यह एक सुदृढ़ और स्थापित कार्यप्रणाली को नियोजित करते हुए भारत के वन और वृक्ष संसाधनों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

(ख) आईएसएफआर तैयार करने के लिए वन आवरण के मानचित्रण में उनके स्वामित्व, भूमि उपयोग या विधिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार की भूमि शामिल है। वनावरण के मूल्यांकन के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली, निर्णय 19/पक्षकारों का सम्मेलन (सीओपी) 9-क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंडों पर आधारित है। तदनुसार, वनावरण के आकलन में स्वामित्व और विधिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना 10% से अधिक कैनोपी वाले 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सभी प्रकार की भूमि शामिल है।

(ग) और (घ) केंद्रीय सरकार ने वनभूमि के वनेतर उपयोग संबंधी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उन पर कार्यवाही करने के प्रयोजन से 'परिवेश' नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में उक्त पोर्टल पर उपलब्ध है।

वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान, वन अधिनियम (संरक्षण एवं संवर्धन), 1980 के उपबंधों के तहत अवसंरचना परियोजनाओं सहित विभिन्न गैर वानिकी-प्रयोजनों के लिए 1,73,396.87 हेक्टेयर माप का वन क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। अपवर्तित वन भूमि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ङ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृतियां (ईसी) प्रदान की जाती हैं। ईआईए अधिसूचना, 2006 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व मूल्यांकन के चार चरण नामत: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन शामिल होते हैं। परियोजनाओं/कार्यकलापों के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा स्कोपिंग के आधार पर विचारार्थ विषय सौंपे जाते हैं। इसके बाद ईएसी द्वारा इन रिपोर्टों का ईआईए, अधिसूचना, 2006 में दिए गए अधिदेश के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रत्यायित परामर्शदाताओं के माध्यम से तैयार की गई ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट, पारिस्थितिकीय क्षेत्र, वन, वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यानों, आदि जैसी पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किए गए वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर और गहन चर्चा/विचार-विमर्श करने के बाद ईएसी, वनस्पति-जात और प्राणि-जात सहित पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कतिपय विशिष्ट और मानक शर्तों सहित खनन परियोजनाओं की अनुशंसा करती है।

*****

संलग्नक

'वन भूमि का विकास कार्यकलापों हेतु उपयोग' के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *333 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी प्रयोजन से भूमि के उपयोग के लिए अनुमोदित राज्य-वार क्षेत्र (हेक्टेयर में) दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी : सभी श्रेणियाँ		**01.04.2014 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान**
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टे. में)**
1	अंडमान और निकोबार	123.20
2	आंध्र प्रदेश	5455.99
3	अरुणाचल प्रदेश	9495.98
4	असम	1720.17
5	बिहार	2780.64
6	चंडीगढ़	40.72
7	छत्तीसगढ़	7925.79
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	64.50
9	दिल्ली	116.92
10	गोवा	324.13
11	गुजरात	9985.15
12	हरियाणा	3526.41
13	हिमाचल प्रदेश	3554.74
14	जम्मू और कश्मीर	577.30
15	झारखंड	8353.42
16	कर्नाटक	2991.62
17	केरल	172.89
18	मध्य प्रदेश	38552.61
19	महाराष्ट्र	8498.35
20	मणिपुर	3111.40
21	मेघालय	176.92
22	मिजोरम	627.64
23	ओडिशा	24458.89
24	पंजाब	3717.23
25	राजस्थान	8796.22
26	सिक्किम	254.43
27	तमिलनाडु	703.79
28	तेलंगाना	11422.47
29	त्रिपुरा	1298.57
30	उत्तर प्रदेश	7059.23
31	उत्तराखंड	6471.89
32	पश्चिम बंगाल	1037.66
	कुल योग	**173396.87**